

प्रेषक,

पी०एल०शाह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय कोड्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,

देहरादून: दिनांक 30 जून, 2008

विषय:

किंगस्टन पब्लिक हाईस्कूल नयागांव अनारवाला, देहरादून को सेन्ट्रल
बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन(री.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र
हेतु अनापति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निवेदण हुआ है कि
किंगस्टन पब्लिक हाईस्कूल नयागांव अनारवाला, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़
सेकेंडरी एजुकेशन(री.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र
दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन आपति नहीं हैं—

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौलसिल फार दि इण्डियन स्कूल
सर्टिफिकेट एकामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली
से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्ड द्वारा नियंत्रित
शर्तें/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निवेदक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत शर्तान् अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड
माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में
विभिन्न कक्षाओं के लिए नियंत्रित शुल्क से अधिक नहीं दिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान छी भाग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से
प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने के तिथि से
परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिष्य तथा शिक्षणतार जारीनियत विद्यालय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुनय वतनमानों तथा अन्य भूमि से
कम वैतनमान तथा अन्य भूमि नहीं दिये जायेंगे।

क्रमांक.....2

(5)

(2)

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और^{उन्हें} सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों
को अनुमन्त्र सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे,
संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड नियंत्रित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्णानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/
परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिवर्णों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्णों का पालन नहीं
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता वर्ती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया
जायेगा।

मददीय,

(पी०एल०शाह)
उप सचिव।

संख्या 1152 (१)/XXIV-3/08/01(15)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित—

1. निवेदक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निवेदक, गढवाल मण्डल, पीड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।
4. प्रधानाधार्य किंगस्टन पब्लिक हाईस्कूल नयागांव अनारवाला, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी०एल०शाह)
उप सचिव।